न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 93/2016 (पुराना 03/2012)

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़ जिला अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री कजोड़ कौम खटीक निवासी ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ जिला अजमेर हाल मुकाम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. श्री गोपाल पुत्र भूरा कौम बलाई निवासी ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
3. श्री रामदेव वल्द भूरा कौम बलाई निवासी ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
4. श्री रामस्वरूप पुत्र भूरा कौम बलाई निवासी ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

............अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज राठौड़ — राजकीय अभिभाषक
2. श्री मंगलाराम चौधरी — अभिभाषक अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश — दिनांक 10.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील सरवाड़ के राजस्व ग्राम स्यार स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 540 रकबा 8–17–00 बीघा किस्म बंजर । भूमि को जरिये रेफरेन्स सिवायचक दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार सरवाड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है. कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.11.1975 को अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित की गई विवादित भूमि रामसागर तालाब की पाल के समीप डूब क्षैत्र की भूमि है। उक्त भूमि तालाबी पाल एवं नहाने के घाटों के समीप स्थित है, तथा वर्षा पश्चात पानी में डूबी रहती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) के अन्तर्गत प्रतिबंधित हैं। अतः विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होने से इसकी खातेदारी निरस्त कर राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कराने के आदेश पारित करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें जवाब हेतु समय चाहा। इसी दरम्यान श्री हरिसिंह वगैरह द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रति वकील अप्रार्थीगण को दिलवाते हुए पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना जाकर वास्ते आदेश नियत की गई। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के आदेश पूर्व दिनांक 1.7.2014 को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से पत्रांक 3548 दिनांक 27.6.14 मण्डल की आदेशिका दिनांक 26.6.2014 के प्राप्त हुआ। जिसके तहत गुन्तकिल

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र पर तथ्यात्मक टिप्पणी तलब करते हुए प्रकरण में आगामी दिनांक 8.10.2014 तक कार्यवाही स्थगित रखी जाने के आदेश दिये गये। तद्नुसार टिप्पणी प्रेषित की गई। तत्पश्चात पत्रावली राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रकरण बाबत आगामी आदेश की प्रतिक्षा में विचाराधीन रही। जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 30.3.2015 के द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पत्रावली न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु नियत किया गया। दिनांक 28.6.2019 को पैरोकार सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर के आदेश दिनांक 3.12.2014 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करते हुए शीघ्र सुनवाई का निवेदन किया गया, जिस पर प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया गया। नियत दिनांक को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से वकील मंगलाराम चौधरी उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 पर सुना गया। प्रार्थना पत्र आदेश आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पोषनीय नही होने से निरस्त किया गया। तत्पश्चात उभय पक्ष को मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना गया।

उपस्थित पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.11.1975 मुकाम फतहगढ के अन्तर्गत ग्राम स्यार के आराजी खसरा नं0 540 रकबा 8–17–00 बीघा किस्म बंजर I अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप सवंत 2041 के राजस्व रेकार्ड में आवंटी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। तत्पश्चात की जमाबन्दी 2067–70 के खाता संख्या 693 में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी दर्ज है। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को विक्रय कर दिया। नामान्तरकरण की कार्यवाही पूर्ण नही होने से क्रेतागण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ। अध्यक्ष ब्लॉक काग्रेस कमेटी, सरवाड एवं सरंपच ग्राम पंचायत श्यार द्वारा दिनांक 29.5.2012 को प्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम स्यार का निवासी नहीं होकर केकडी का निवासी है, तथा कपटपूर्वक प्रश्नगत आराजी का आवंटन करवाया गया है। जो प्रस्तुत केकडी की निर्वाचक नामावली 2012 भाग संख्या 109' से भी स्पष्ट है। आवंटित प्रश्नगत भूमि रामसागर तालाब के समीप डूब क्षेत्र में आती है। पटवारी हल्का स्यार की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.5.2012 के अनुसार भी विवादित भूमि तालाब के पाल एवं नहाने के घाटो के समीप स्थित है एवं तालाब पेटे में है, वर्षा पश्चात पानी में डूबी रहती है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई भूमि तालाब पेटा व डूब क्षेत्र में स्थित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) के अन्तर्गत प्रतिबंधित हैं। नदी तल या तालाब की भूमि जो कभी–कभी खेती के लिए ही काम में ली जा सकती है। ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंधित हैं। अतः अप्रार्थी संख्या एक के नाम ग्राम स्यार की जमाबन्दी संवत 2067–2070 के खाता संख्या 693 में खसरा नं0 540 रकबा 08–17–00 बाबत दर्ज खातेदारी अधिकार निरस्त करवाने एवं राजस्व अभिलेख में भूमि सिवाय चक दर्ज कराने के आदेश हेतु प्रकरण मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें।

पैरोकार सरकार की बहस के जवाब में अभिभाषक अप्रार्थीगण ने मुख्यतः कथन किया कि प्रश्नगत आराजी आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत रूप से बाद जांच दिनांक

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

13.11.1975 को अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित कर कब्जा सुपुर्द किया गया था। वर्किंग जमाबन्दी सवंत 2041 के खाता संख्या 648 में खसरा नं0 540 रकबा 08–17–00 बीघा अप्रार्थी संख्या 01 को गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना करने कारण ग्राम स्यार की जमाबन्दी संवत 2056–2059 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 633 दिनाक 16.6.2000 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 श्री सत्यनारायण पुत्र कजोड के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई। खातेदारी मिलने के करीब 12 वर्ष पश्चात घरेलू आवश्यकता के कारण अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.5. 2012 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया गया। विवादित भूमि पर आवंटन दिनांक से अप्रार्थी संख्या 01 काबिज काश्त चला आ रहा था। तत्पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 काबिज काश्त चले आ रहे है। केतागण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत स्यार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नहीं कर तहसीलदार सरवाड को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार द्वारा ग्रामवासियों की झूठी शिकायत पर विवाद का आधार बनाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया, जिसकी अपील संख्या 10/2014 गोपाल बनाम सरकार न्यायालय अपर कलक्टर के समक्ष पेश हुई जो निर्णय दिनांक 22.4.2015 द्वारा आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सरवाड का प्रशनगत आदेश दिनांक 7.8.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सरवाड को इन निर्देशों के रिमाण्ड किया कि वे अपीलान्ट्स (केतागण) को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के परिपेक्ष्य में जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे। प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद से आज दिनांक तक उक्त प्रकरण, प्रार्थी तहसीलदार सरवाड के समक्ष विचाराधीन रहा। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम स्यार का ही स्थाई निवासी था व भूमिहीन एवं अनुसुचित जाति का गरीब सदस्य होने के कारण व आवंटन की पात्रता रखने पर ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा समस्त तथ्यों की जांच कर ही प्रश्नगत आराजी, अप्रार्थी संख्या 01 को आंवटित की गई थी। विवादित भूमि ग्राम स्यार के रामसागर तालाब के डूब क्षेत्र व तालाब की पाल पर बने घाटो से काफी दूर स्थित है। राजस्व रेकार्ड में भूमि की किस्म आवंटन दिनांक से आज दिनांक तक बंजड प्रथम दर्ज है। यदि भूमि तालाब के डूब क्षैत्र में आती तो विवादित भूमि की किस्म पेटा तालाबी दर्ज होती। इस प्रकार विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नही आती है। प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक हित की भूमि न होकर अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। प्रश्नगत खसरा संख्या 540 की भूमि शिकायतकताओं हरीसिंह पुत्र तेजसिंह, मोहनसिंह पुत्र संग्राम सिंह वगैरह के खातेदारी खसरा नं 539, 541, 542, 543 के बीचोबीच स्थित है इसलिए तालाब की पाल एवं तालाब के डूब क्षेत्र में नहीं हो सकती, जो राजस्व मानचित्र से भी साबित है। अप्रार्थी का खसरा नं0 शिकायतकर्ता पूर्व जनप्रतिनिधि होने का गलत इस्तेमाल कर विवादित भूमि बाबत तहसीलदार पर अनुचित दवाब बनाकर पटवारी हल्का से झूठी रिपोर्ट बनवाकर राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर यह रेफरेन्स प्रस्तुत करवाया गया है। तहसीलदार सरवाड द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वच्छ हाथो से मिथ्या कथनों कें आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथमदृष्टया ही काबिले खारिज होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट सहित रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट मुताबिक ग्राम स्यार स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 540 रकबा 8–17–00 बीघा मौके पर तालाब पेटे में है तथा नहाने के घाटो के काफी समीप है जिससे वर्षा होते ही उक्त भूमि में पानी भर जाता है। जो लम्बे समय तक मवेशियो के पीने के काम आता है। खसरा गिरदावरियों सवतं 2042 से 2045, 2044 से 2047, 2048 से 2051, 2056 से 2060, 2060 से 2063 में विवादित भूमि पर गैहूँ जौ व चना की काश्त दर्ज है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद करता है। राजस्व मानचित्र के अवलोकन से भी प्रश्नगत आराजी तालाव की पाल पर स्थित होना जाहिर है। ऐसी भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) के अन्तर्गत प्रतिबंधित हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 13.11.1975 एवं इसके आधार पर जमावन्दी में गलत इन्द्राज निरस्त कर भूमि राजस्व अभिलेख में पुनः सिवाय चक दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

VMSharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner